# प्रेस नोट

# जनपद मुजफ्फरनगर

# दिनांक 13.11.2024

- **<u>थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा 02 चोर अभियुक्तगण गिरफ्तार-</u>**

  दिनांक 13.11.2024 को थाना पुरकाजी पर नियुक्त उ0नि0 श्री नवीन कुमार गौतम मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0- 235/2024 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 चोर अभियुक्तगण 1- योगेश पुत्र बन्टी 2- रविन्द्र पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम नूरनगर थाना पुरकाजी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 महेन्द्रा ट्रैक्टर मय 01 ट्राली (लकड़ी भरी हुई) बरामद की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **<u>थाना भोपा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री जब्त करते हुए 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-</u>**

  दिनांक 13.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक भोपा श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही तथा प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री सुभाष अत्री मय हमराहीगण द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री जब्त करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण 1- अकरम उर्फ कग्गा पुत्र हनीफ निवासी नयागांव थाना भोपा, मुजफ्फरनगर 2. इसरार पुत्र मरहूम सुलेमान निवासी नयागांव थाना भोपा, मुजफ्फरनगर को ग्राम नंगला

बुजुर्ग के जंगल में गंगनहर के किनारे नहर बाई के खंडहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद डबल बैरल बन्दूक 12 बोर, 04 अदद सिगल बैरल बंन्दूक 12 बोर, 01 अदद मस्कट 315 बोर, 13 अदद तमंचे 315 बोर, 01 अदद तमंचा 12 बोर, 08 अदद नाल छोटी बडी-12 बोर (अध बनी) तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण (दो हथौडी छोटी-बडी, तीन, छेनी लोहा छोटी बडी, एक सिन्डासी लोहा, दो सुम्बी लोहा छेद करने की, 02 पेचकस, एक लकडी काटने की आरी, एक लोहा काटने की आरी, मय चार आरी के ब्लेड , व दस रेगमाल ,तेरह छोटी बडी गरारी, नौ छोटे बडे बोल्ट, दो सौ ग्राम छोटी बडी रिपिट, एक सिकंजा ,तीन लकडी छिलने के जमूरे ,तीन पिलास छोटे बडे ,एक कटर ,एक मोटी बडी सुम्मी ,एक छेद करने की डाई , 6 छोटी बडी डाई मशीन मय ड्रिल मशीन ,छोटे बडे वारसर चूडीनुमा पेंच, एक ग्राइंडर मशीन मय डाई प्लेट व चाबी के ,एक धूंकनी मशीन ,एक वेल्डिंग मशीन ,एक पैकेट वैल्डिंग रॉड आदि) बरामद किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना भोपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-299/2024 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।